

RTI REQUEST DETAILS

Registration No. :	PGCIL/R/E/20/00370	Date of Receipt :	23/09/2020
Type of Receipt :	Online Receipt	Language of Request :	English
Name :	ASHOK KUMAR	Gender :	Male
Address :	Flat no-A-33First Floor,Parsvnath City, near-Times of India office, Faizabad Road,Lucknow, Pin:226028		
State :	Uttar Pradesh	Country :	India
Phone No. :	+91-8299500936	Mobile No. :	+91-6392801067
Email :	ashokpoonam15119@gmail.com		
Status(Rural/Urban) :	Urban	Education Status :	Graduate
Is Requester Below Poverty Line ? :	No	Citizenship Status	Indian
Amount Paid :	10)	Mode of Payment	Payment Gateway
Does it concern the life or Liberty of a Person ? :	No(Normal)	Request Pertains to :	
Information Sought :	sir please find the attachment herewith that the require information. kindly provide the listed 15 nos. information. thanking you.		
<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Close"/>			

1. पावरग्रिड विभाग का एक मुख्य कार्य पारेषण लाइन निर्माण करना है। वर्ष 2008 से 2015 तक विभाग द्वारा "Powergrid ESPP Appendix-xv{Tree and Crop Compensation Procedures} विषय पर कितनी ट्रेनिंग पारेषण लाइन निर्माण में कार्यरत कर्मचारियों को दी गई है ? कृपया विवरण दे।
2. पावरग्रिड विभाग में किस-किस वर्ष के कर्मचारियों की OJT(On Job Training) में Powergrid ESPP Appendix-xv{Tree and Crop Compensation Procedures} में जानकारी दी गई है ? कृपया विवरण दे।
3. Iom संदर्भ संख्या-NR//PESM/6737 दिनांक 13.11.2009{उ.क्षे. 1/जी.आई.एस.गु./पा.प/09 ED Approval-06.11.2009} की स्वीकृति की आवश्यकता क्यों पड़ी थी ? क्या विभाग की पारेषण लाइनों के निर्माण में किसानों को मुआवजा भुगतान, विभाग की नीति "Powergrid ESPP Appendix-xv{Tree and Crop Compensation Procedures}" के अनुरूप नहीं हो सकता था ?
4. कार्यपालक अप्रूवल उ.क्षे. 1/जी.आई.एस.गु./पा.प/09 दिनांक -06.11.2009 का पालन करते हुए पावर ग्रिड में कितनी पारेषण लाइनों में किसानों को भुगतान किया गया है ?
5. कार्यपालक अप्रूवल उ.क्षे. 1/जी.आई.एस.गु./पा.प/09 दिनांक -06.11.2009 किसी पारेषण लाइन विशेष के लिए था अथवा सम्पूर्ण पावर ग्रिड में लागू करने के लिए था ?
6. Iom संदर्भ संख्या-NR//PESM/6737 दिनांक 13.11.2009 के माध्यम से पावर ग्रिड के अन्य स्थानों पर इस कार्यपालक अप्रूवल उ.क्षे. 1/जी.आई.एस.गु./पा.प/09 दिनांक -06.11.2009 के तहत कार्य करने के लिए क्यों निर्देशित किया गया था ?
7. जब पावर ग्रिड में "Powergrid ESPP Appendix-xv{Tree and Crop Compensation Procedures}" नीति के विरुद्ध दूसरी नीति "कार्यपालक अप्रूवल उ.क्षे. 1/जी.आई.एस.गु./पा.प/09 दिनांक -06.11.2009" का अनुशरण करते हुए बड़े स्तर पर पारेषण लाइन निर्माण का कार्य किया जा रहा था। और इस नीति से पावरग्रिड को पारेषण लाइन निर्माण में ज्यादा सुविधा प्रतीत हो रही थी तो क्यों नहीं पावर ग्रिड की मूल नीति Powergrid ESPP Appendix-xv{Tree and Crop Compensation Procedures}" को सिद्धांतिक रूप से बदला गया ?
8. Iom संदर्भ संख्या-NR//PESM/6737 दिनांक 13.11.2009{ कार्यपालक अप्रूवल उ.क्षे. 1/जी.आई.एस.गु./पा.प/09 दिनांक -06.11.2009 } इस अप्रूवल में जो किसानों को मुआवजे हेतु नोटिस स्वीकृत किया गया था। उसमें किसान के खेत का खसरा संख्या लिखने का विकल्प क्यों नहीं दिया गया था ?
9. Iom संदर्भ संख्या-NR//PESM/6737 दिनांक 13.11.2009{ कार्यपालक अप्रूवल उ.क्षे. 1/जी.आई.एस.गु./पा.प/09 दिनांक -06.11.2009 } में लिखा है "The Owner of the land/grower of the shell be verified by patwari/sarpanch/nambardar before making payment to the farmer. If patwari is not available in certain area then sarpanch has to certified the ownership."
इस तथ्य का अनुशरण करते हुए। किन-किन पारेषण लाइनों में किसानों के मुआवजे के नोटिस तहसील ने यह कहकर वापिस कर दिए हो कि तहसील में पटवारी उपस्थित नहीं है ? इसलिए आपके नोटिसों


23/09/2020

का सत्यापन तहसील से संभव नहीं है। इस प्रकार के, किररी भी लाइन के केवल 10 नोटिसों का विवरण दे ?

10. विभागीय(पावरग्रिड) नोट शीट बनाने व स्वीकृति के लिए प्रयोग किए जा रहे "E-office" में कार्य करने के लिए केवल अधिकारियों को ही अधिकृत किया गया है। उसमें कनिष्ठ अभियंता को क्यों अधिकृत नहीं किया गया है ?
11. किन-किन परिस्थितियों में अधिकारी होने के उपरांत दूसरी पार्टी को भुगतान करने हेतु कर्मचारियों से नोट पेशित किया जा सकता है ? प्रमाण के साथ प्रस्तुत करे।
12. पावरग्रिड में कनिष्ठ अभियंता की Delegation of Power (dop) क्या है ? क्या पावरग्रिड में Delegation of Power को अग्रेषित किया जा सकता है ?
13. पानीपत कार्यालय के अंतर्गत निर्माण की गई 800 के वी चम्पा-कुरुक्षेत्र पारेषण लाइन के निर्माण के दौरान किसानों के फसल मुआवजे के नोटिस जो सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापित किए गए थे। उनके भुगतान के लिए तैयार प्रस्ताव को पानीपत प्रभारी और अनुमोदन प्राधिकारी ने बिना तहसील प्रमाण के " कि तहसील में पटवारी उपस्थित नहीं है" जो कि { कार्यपालक अप्रूवल उ.क्षे. 1/जी.आई.एस.गु./पा.प/09 दिनांक -06.11.2009 } का मुख्य बिन्दु था। कैसे अनुमोदित कर दिया ? पूरी पारेषण लाइन निर्माण के दौरान का कोई भी एक प्रस्ताव का विवरण दे जो पानीपत प्रभारी और अनुमोदन प्राधिकारी ने इस तरह अनुमोदित करने से मना किया हो ? कृपया प्रमाण सहित विवरण दे ?
14. बिना तहसील के प्रमाण के कि "तहसील में पटवारी उपस्थित नहीं है" { कार्यपालक अप्रूवल उ.क्षे. 1/जी.आई.एस.गु./पा.प/09 दिनांक -06.11.2009 } का मुख्य बिन्दु था। सम्बन्धित वित्त विभाग ने इस तरह के सभी नोटिसों का भुगतान क्यों किया ? अगर एक भी प्रमाण किसी भी तहसील से लिया हो तो साक्ष्य प्रस्तुत करे।
15. जब विजिलेन्स विभाग के अनुसार ग्राम प्रधान से नोटिस सत्यापित कर मुआवजा देना गलत था। तो सम्पूर्ण 800 के वी चम्पा-कुरुक्षेत्र पारेषण लाइन निर्माण के दौरान किसानों के फसल मुआवजे के नोटिस जो सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापित किए थे उन सभी को तहसील से जांच क्यों नहीं कराया गया ? क्या अभी तक जिन पारेषण लाइनों के निर्माण में ग्राम प्रधान द्वारा नोटिसों का सत्यापन करके भुगतान किया है उन सभी पारेषण लाइनों के सभी नोटिसों की जांच नहीं होनी चाहिए ?


23/09/2020